## <u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 1468/2011

संस्थापन दिनांक 22.12.2011

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

## <u>बनाम</u>

1—रामरतनसिंह पुत्र मुन्नीलाल गर्ग उम्र 57 साल निवासी बीमा अस्पताल के पास कांचमील ग्वालियर हाल एस.आर.एफ. कैन्टीन मालनपुर जिला भिण्ड

– अभियुक्त

## निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 287, 338, भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 11.09.11 को 12:00 बजे करीब एस.आर.एफ. फैक्ट्री कैन्टीन मालनपुर में आटा मशीन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलवाया जिससे फरियादी रामगोपाल अ0सा03 का मानव जीवन संकटापन्न हुआ तथा फरियादी रामगोपाल अ0सा03 को घोर उपहति कारित की।

2.

10

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि फरियादी रामगोपाल अ०सा०३ एस.आर.एफ. फैक्ट्री की कैन्टीन में ठेकेदार रामरतनसिंह की तरफ से कैन्टीन में आटा लगाने का काम करीब डेढ़ माह से कर रहा था। दिनांक 11.09.11 को वह कैन्टीन में मशीन से आटा लगा रहा था तभी आरोपी ठेकेदार रामरतन आया और बोला कि आटा जल्दी—जल्दी लगाओ तब उसने कहा कि मशीन वाला काम है जल्दी मत करो तो ठेकेदार रामरतन गुस्से से बोला कि पैसा देता हूं इसलिए काम जल्दी करना पड़ेगा, खाने के लिए देर हो रही है आटा जल्दी—जल्दी लगाओ तभी उसका हाथ मशीन में चला गया और उसका दाहिना हाथ मशीन में चले जाने से कलाई के पास चोट लग गई तब साथ काम कर रहे पप्पू कुर्मी अ.सा.1, तेजिसिंह कुशवाह ने उसका हाथ खींचकर निकलवाया फिर

ठेकेदार रामरतन ने उसका इलाज कराने को कहा और उसे साथ लेकर ग्वालियर ले गया वहां अस्पताल में भर्ती कराकर चला आया फिर देखने नहीं गया तथा उसका इलाज भी नहीं कराया। तत्पश्चात फरियादी रामगोपाल अ०सा०३ की रिपोर्ट प्र0पी—4 पर से थाना मालनपुर में अप०क० 169/11 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्याालय के समक्ष पेश किया गया।

- 3. आरोपी ने अपराध विवरण की विशिष्टियों अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
  - . 💉 💜 प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :—
    - 1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 11.09.11 को 12:00 बजे करीब एस.आर.एफ. फैक्ट्री कैन्टीन मालनपुर में आटा मशीन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलवाया जिससे फरियादी रामगोपाल अ0सा03 का मानव जीवन संकटापन्न हुआ ?
    - 2. उक्त दिनांक समय व स्थान पर आरोपी ने आटा मशीन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलवाकर फरियादी रामगोपाल अ०सा०३ को घोर उपहित कारित की ?

## //विचारणीय प्रश्न क्रमांक ०१ व ०२ पर सकारण निष्कर्ष //

- 5. फरियादी रामगोपाल अ०सा०३ ने कथन किया है कि वह आरोपी रामरतन को जानता है दिनांक 11 सितम्बर को चार वर्ष पूर्व दोपहर बारह बजे की घटना है। वह एस०आर०एफ० फेक्ट्री की केंटीन में आटा लगाने का काम करता था। ठेका आरोपी रामरतन का था। घटना दिनांक को रामरतन ने उससे कहा कि जल्दी आटा लगाओ तब उसने कहा कि मशीन है जल्दी नहीं होगा। तब आरोपी रामरतन ने कहा कि पैसे देता हूँ तुम्हें जल्दी करना पडेगा उसने जल्दी आटा लगाया तो उसका हाथ मशीन में चला गया और पीछे से आरोपी ने धक्का दे दिया। पप्पू और तेजसिंह जो साथ में काम कर रहे थे उन्होंने हाथ खींचा उसके दाहिने हाथ में कलाई के उपर चोट लगी थी जो टूट गया था तब आरोपी का सुपरवाइजर संजय मित्तल उसे ग्वालियर अस्पताल ले गया और उसे पांच दिन अस्पताल में रखा। दरोगाजी कैंटीन पर आये तो उसने रिपोर्ट प्र०पी०—4 लिखाई थी पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका प्र०पी०—5 बनाया था और उसका बयान लिया था। इलाज में लगे पचास हजार रूपये उसने आरोपी से मांगने पर आरोपी ने नहीं दिये।
- 6. साक्षी पप्पू अ.सा.1 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता उसने एस0आर0एफ0 की फेक्ट्री की केंटीन में काम नहीं किया उसके सामने कोई घटना नहीं हुयी वह रामगोपाल अ.सा.3 को नहीं जानता उसे घटना की जानकारी नहीं है। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस साक्षी ने इंकार किया है कि दिनांक 11–9–11 को वह और तेजिसंह रामगोपाल अ.सा.3 के साथ आटा लगाने का काम कर रहे थे, तब आरोपी ने आकर कहा कि जल्दी आटा लगाओ तब रामगोपाल अ.सा.3 का दाहिना हाथ मशीन में चला गया और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान

आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी–1 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

7. साक्षी डॉक्टर आलोक शर्मा अ०सा०—2 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23—10—11 को सी०एच०सी० गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ थे । उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के आरक्षक आनंद द्वारा लाये जाने पर रामगोपाल अ.सा.3 का परीक्षण किया था जिसमें पाया था कि, दाहिने भुजा से कंधे से लेकर हथेली तक प्लास्टर चढ़ा था जिसके लिये एक्सरे की सलाह दी थी । एक्सरे में आहत की रेडियस और अल्ला हड्डी में प्लेट लगा होना पाया था और दोनों हड्डियों में कैलस मौजूद था आहत को कोई बाहरी चोट नहीं दिख रही थी। चोट कितनी पुरानी थी यह अभिमत नहीं दिया जा सकता था।

प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी पप्पू अ०सा०—1 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। अन्य साक्षी तेजिसंह को अभियोजन साक्ष्य में प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है। अतः आहत रामगोपाल अ.सा.3 की ही साक्ष्य घटना के प्रत्यक्ष साक्षी के रूप में अभिलेख पर है। रामगोपाल अ.सा.3 ने पैरा—2 में कथन किया है कि उसे कार्य करने के लिये रखा था और नौकरी से संबंधित कोई दस्तावेज तैयार नहीं किये थे। यह स्वीकार किया है कि जब फेक्ट्री या कैंटीन में कोई व्यक्ति नियुक्त होता है तो उसके दस्तावेज व पहचान पत्र तैयार होते हैं। अतः घटनास्थल पर कार्य करने के लिये आरोपी द्वारा उसे नियुक्त किये जाने के कोई दस्तावेज अभियोजन द्वारा पेश नहीं किये गये हैं जिससे कि रामगोपाल अ.सा.3 की घटनास्थल पर मशीन पर कार्य करने हेत् नियुक्त प्रमाणित हो सके।

रामगोपाल अ.सा.3 ने पैरा—2 में कथन किया है कि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है कि फैक्ट्री का ठेकेदार आरोपी रामरतन था। अभियोजन ने भी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है कि फैक्ट्री का ठेकेदार आरोपी रामरतन था अतः जिस मशीन पर उपेक्षा व उतावलेपन से रामगोपाल अ.सा.3 द्वारा चलवाये जाने का आरोपी पर आरोपी है कि उस मशीन का आरोपी स्वामी अथवा भारसाधन अथवा नियंत्रक था इस संबंध में अभियोजन द्वारा दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं। जबिक इस संबंध में बचाव पक्ष की प्रतिरक्षा रही है कि आरोपी का कैंटीन से कोई संबंध था और ना ही वह ठेकेदार था। रामगोपाल अ.सा.3 ने पैरा—5 में इंकार किया है कि उसने रिपोर्ट प्रवपी0—4 और कथन प्रवडी0—1 में ठेकेदार संजय मित्त का होना बताया था। फिर कथन किया है कि संजय मित्तल का ठेका था और इस सुझाव से इंकार किया है कि कैंटीन किसी ठेकेदार के अधीन नहीं थी मैनेजमेंट के अधीन थी। अतः फैक्ट्री के ठेकेदार संजय होने के संबंध में ही इस साक्षी ने अभियोजन मामले से भिन्न और परस्पर विरोधाभासी कथन किये हैं जिससे घटना के समय आरोपी का फैक्ट्री का ठेकेदार होना दस्तावेजी साक्ष्य के आभाव में और परस्पर मौखिक साक्ष्य के विरोधाभास से पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है।

10. रामगोपाल अ.सा.3 ने पैरा–2 में कथन किया है कि उसे कंपनी की गाड़ी से जयारोग्य अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया और पैरा–4 में कथन किया है कि उसने घटना की रिपोर्ट घटना के 20–22 दिन बाद लिखाई थी। रिपोर्ट प्र0पी0–4 में विलंब का कारण उल्लेखित है कि इलाज कराने के कारण विलंब हुआ। लेकिन न्यायालीन साक्ष्य में रामगोपाल अ.सा.3 ने उक्त तथ्य रिपोर्ट प्र0पी0–4 में लिखाये जाने से इंकार किया हैकि इलाज कराने के कारण विलंब हुआ। उक्त 20 दिवस की अवधि में आहत उपचाररत् रहा इस संबंध में भी

अभियोजन ने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये हैं । डॉक्टर आलोक शर्मा अ.सा.2 ने ही चोट की निश्चित अवधि नहीं बतायी है और प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि 14 से 21 दिन के बीच हड्डी टूटने पर कैलस बनना प्रारंभ हो जाता है, परंतु इस मामले में कैलस की अवधि कितनी थी वह नहीं बता सकता। अतः रिपोर्ट प्र0पी0—4 का विलंब स्पष्ट नहीं होता है। अतः 20 दिवस के विलंब को दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन स्पष्ट करने में असमर्थ रहा है और मौखिक साक्ष्य में विलंब के कारण से ही फरियादी रामगोपाल अ.सा.3 ने इंकार किया है।

- 11. रामगोपाल अ.सा.3 ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि आरोपी रामरतन ने उसे धक्का दे दिया था जिसका लोप रिपोर्ट प्र0पी0—4 व कथन प्र0डी0—1 में है जिसका कारण यह साक्षी बताने में असमर्थ रहा है। अतः न्यायालीन साक्ष्य में रामगोपाल अ.सा.3 ने अतिरंजना पूर्णतः साक्ष्य दी है कि आरोपी ने उसे सआशय धक्का दिया। जो तात्विक है क्योकि अपराध की प्रकृति बदलता है।
- 12. साक्षी डाँ० आलोक शर्मा अ.सा.२ ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि जब मशीन में काम करते समय हाथ में चोट आये तब चमढ़ी में भी घाव होता है और जब तक घाव सूख नहीं जाता तब तक पक्का प्लास्टर नहीं लगाया जाता। वर्तमान मामले में भी आहत को मशीन से चोटें थीं, परंतु उसे प्लास्टर चढ़ा दिया गया था। आहत की चमढ़ी में घाव था इस संबंध में चिक्तिसीय साक्ष्य में कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आये है क्योंकि साक्ष्य में मात्र हाथ टूटना बताया है। अतः जबिक विशेषज्ञ के मत से मशीन से आयी चोट में चमढ़ी में भी चोट आती है तब चमढ़ी के चोट के अभाव से चिकित्सीय साक्ष्य से भी आहत की चोट की पुष्टि नहीं होती है।
- 13. अतः रामगोपाल अ०सा०—3 की मौखिक साक्ष्य उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना अनुसार विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है। आहत का फैक्ट्री में नियुक्त होना अथवा आरोपी पर मशीन पर नियंत्रण होना भी अभियोजन विश्वसनीय साक्ष्य से स्पष्ट नहीं कर सका है। एफ०आई०आर० प्र.पी.4 का 20 दिवस का विलंब भी अभियोजन मामले से विरोधाभासी रहा है। चिकित्सीय साक्ष्य से भी उपहित की संपुष्टि नहीं हुयी है। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।
- 14. अतः अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध करने में असफल रहता है कि आरोपी नें दिनांक 11.09.11 को 12:00 बजे करीब एस.आर.एफ. फैक्ट्री कैन्टीन मालनपुर में आटा मशीन को उपेक्षा या उतावलेपन से चलवाया जिससे फिरयादी रामगोपाल अ0सा03 का मानव जीवन संकटापन्न हुआ तथा फिरयादी रामगोपाल अ0सा03 को घोर उपहित कारित की।
- 15. परिणामतः आरोपी को धारा 287, 338, भा.द.स. के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

दिनांक :-

सही / – (गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0